8 OCT 6 2026.qxd 07-10-2026 19:25 Page 1

कर्ज हुआ महंगा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बुधवारको विगत चार वर्षोंमें पहली बार रेपो रेटमें २५ बेसिस प्वाइंटकी वृद्धि कर दी। रेपो रेट अब ५.२५ प्रतिशतसे बढ़कर ५.५० प्रतिशत हो गया। इसका सीधा अर्थ यह कि कर्ज महंगा हो गया और ईएमआई भी बढ़ जायगी। आने वाले दिनोंमें अभी राहत नहीं मिलने वाली है। कर्ज दरमें फिर वृद्धि हो सकती है। ऐसा पहलेसे ही अनुमान लगाया जा रहा था कि मौजूदा स्थितियोंको देखते हुए रेपो रेट बढ़ाया जा सकता है और आज आरबीआईके गवर्नर संजय मल्होत्राने एमपीसीकी बैठकके बाद रेपो रेटमें वृद्धिकी घोषणा कर दी। इससे उन लोगोंको आघात पहुंचा है, जो सस्ते कर्जकी उम्मीद लगाये बैठे थे। रिजर्व बैंकने महंगीको लेकर बढ़ते जोखिमोंके बीच नीतिगत रुखको और सख्त किया है। विशेष रूपसे युद्धके कारण ग्लोबल कमोडिटी और खाद्य मूल्योंपर दबाव बढ़नेसे भारतीय खुदरा महंगीके लिए जोखिम उत्पन्न हुआ है। रेपो रेटमें वृद्धिसे बैंकोंकी फण्डिंग लागत बढ़ सकती है, जिसका सीधा प्रभाव होम लोन, आटो लोन और अन्य कर्जकी ईएमआईपर पड़ता है। संजय मल्होत्राका मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्थाको मजबूत निजी खपत और मजबूत निवेश गतिविधियोंसे सहारा मिल रहा है। ऐसे संकेत मिले हैं कि दूसरी-तिमाहीमें आर्थिक गतिविधियोंकी रफ्तार बनी हुई है, जबकि पहली-तिमाहीके मुकाबले इसमें कुछ नरमी आयी है। लागत दबावके बावजूद मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियां टिकाऊ बनी हुई है। सर्विस सेक्टरकी गतिविधियां मजबूत और व्यापक आधार वाली हैं। वस्तुत: रिजर्व बैंक रेपो रेटको महंगी बढ़नेसे रोकनेके लिए हथियारके रूपमें इस्तेमाल करता है। जब खुदरा महंगी तेजीसे बढ़ती है तो रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाकर कर्जको महंगा करनेका प्रयास करता है। इससे अर्थव्यवस्थामें मांग घटानेमें सहायता मिलती है। नि:सन्देह कर्ज महंगा होने और ईएमआई बढ़नेसे जनताकी दिक्कतें बढ़ती हैं। साथ ही उद्योग व्यापारपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। महंगी बड़ी चुनौती है और इसपर रोक लगानेके लिए सरकारको प्रभावी कदम उठानेकी जरूरत है। मांग घटनेसे आर्थिक गतिशीलता प्रभावित होती है। इसलिए आम जनताको राहत पहुंचानेकी दिशामें ठोस प्रयास करने होंगे। आम जनता महंगीसे पहलेसे ही प्रभावित है। अब उसकी दिक्कतें और बढ़ जायंगी।

बेलगाम विमान किराया

त्योहारी सीजनमें हवाई किरायामें वृद्धि कोई नयी बात नहीं है, लेकिन विमानन कम्पनियोंकी बेरोकटोक बढ़ती यह प्रवृत्ति चिन्ताका विषय जरूर है। यात्रियोंकी मजबूरीका नाजायज फायदा उठाते हुए उनका शोषण किया जाना किसी भी रूपमें उचित नहीं माना जा सकता है। इस बार भी दीपावली और छठ पूजापर घर जाने वाले लोगोंसे मोटी रकम वसूली जा रही है। खासकर बिहारको जोड़ने वाले छह प्रमुख मार्गोंपर हवाई किरायामें जरूरतसे ज्यादा उछाल देखनेको मिल रहा है जिसपर सरकारको सख्त कदम उठानेकी जरूरत है। छठ पर्व बिहारका प्रमुख पर्व है, जिसमें शामिल होनेके लिए बिहार एवं सीमावर्ती राज्यके जिलोंके निवासी जहां घर पहुंचनेकी तैयारमें जुटे हैं, वहीं ट्रेनोंमें टिकटकी कमी और लम्बी प्रतीक्षा सूचीके चलते विमानन कम्पनियां लोगों जेब ढीली करनेमें जुटी है। देशके करीब २० प्रमुख मार्गोंपर हवाई किराया तीन गुनातक बढ़ गया है। आनलाइन टिकट बुकिंग सेवा मंचोंके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इसके अनुसार मुम्बई-पटना मार्गपर मंगलवारको जो किराया करीब ७६९४ रुपये था वहीं छह नवम्बरको २४,२६२ रुपये और सात नवम्बरको करीब २५,१५४ रुपयेमें बुक हो रहा है, जो विमानन कम्पनियोंकी मनमानीको दर्शाता है। यही स्थिति दिल्ली-पटना मार्गपर भी है जहां किराया छह नवम्बरके लिए १३,५८४ रुपये और सात नवम्बरके लिए १७,४७७ रुपयेतक पहुंच गया है, जो मंगलवारको ६,३१४ रुपये था। चौंकाने वाली बात यह है कि शुक्रवार और शनिवारके लिए हवाई यात्रियोंसे ज्यादा वसूली हुई है, जो सिर्फ अनुमानपर आधारित है। विमानन कम्पनियोंने त्योहारी सीजनमें शुक्रवार और शनिवारको यात्राकी मांग ज्यादा रहनेकी सम्भावनाको देखते हुए टिकटोंके दाममें वृद्धि की है, जो इस बातका संकेत है कि हवाई किराया बेलगाम है। यह सिलसिला २० नवम्बरतक जारी है। इस बीच पड़ने वाले शुक्रवार और शनिवारको भी कई मार्गोंपर किराया अन्य दिनोंकी अपेक्षा अधिक है। इसके विरुद्ध सरकारको सख्त कदम उठानेकी जरूरत है, ताकि विमानन कम्पनियोंपर अंकुश लगाया जा सके और हवाई यात्रियोंको शोषणसे बचाया जा सके।

लोक संवाद

सूचना युद्धका अर्थ

महोदय,- आज सोशल मीडिया हमारे जीवनका महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ह्वाट्सऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मके माध्यमसे लोग कुछ ही सेकंडमें देश-दुनियाकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सोशल मीडियाने सूचनाके आदान-प्रदानको आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ कुछ गम्भीर चुनौतियां भी सामने आयी हैं। अब सूचनाका इस्तेमाल केवल लोगोंको जानकारी देनेके लिए नहीं, बल्कि उनकी सोच और भावनाओंको प्रभावित करनेके लिए भी किया जा सकता है। इसी कारण सूचना युद्ध आज राष्ट्रीय सुरक्षाका एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सूचना युद्धका अर्थ है ऐसी सूचनाओंका इस्तेमाल करना, जिनके माध्यमसे लोगोंकी सोच, भावनाओं, विश्वास और निर्णयोंको प्रभावित किया जा सके। इसमें झूठी खबर, आधी-अधूरी जानकारी आदि शामिल हैं। **-सौरभ, वाया ईमेल।**

सवैधानिक आजादीके मायने

कई महीनोंसे मतदाता सूचीमें एसआईआरने मतदाताओंको परीक्षामें डाल रखा है। सर्वोच्च न्यायालयमें केन्द्रीय चुनाव आयोगके फैसले लेनेके तौर-तरीकेपर सवाल उठाये हैं कि क्या विशेष एसआईआर प्रशासनिक रूपसे सुस्पष्ट है। क्या कुछ विवादित काम कानूनी तौरपर केन्द्रीय चुनाव आयोगके फैसले थे भी या नहीं।

❐ एस. वाई. कुरैशी

न्यायालयमें एसएआरके मामलेमें उन याचिकाओंपर सुनवाई कर रहा था जो इन खबरोंसे जुड़ी थीं कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशीने आयोगके नामपर लिये गये फैसलों या कामोंपर कमसे कम १४ बार आपत्तियां जतायी थीं। वरिष्ठ वकील विकास सिंहने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारको तुरंत पदसे हटानेकी मांग की। न्यायालयने इसे अस्वीकार करके सही किया कि केवल अखबारकी खबरोंके आधारपर और एकतरफा तौरपर ऐसा असाधारण कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इसके बाद जस्टिस सूर्यकांतने कहा कि उम्मीद की जाती है कि आयोगके फैसले आम सहमतिसे हों। जहां आम सहमति संभव न हो, वहां निर्णय बहुमतके आधारपर हो। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागचीने कहा कि यदि रिकॉर्डसे पता चलेगा कि कुछ निर्णय विशेष इस नियमके उलट लिये गये थे तो अदालत उनपर रोक लगा सकती है, उन्हें अधिकार-क्षेत्रसे बाहर घोषित कर सकती है। अब एक नोटिस जारी किया गया है, विसंगति साबित करनेमें संबंधित लोगोंका पक्ष सुना जाय। लेकिन विवादका स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रहा कि क्या विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशासनिक रूपसे सुस्पष्ट है। इससे भी पहले एक सवाल उठता है, क्या कुछ विवादित काम कानूनी तौरपर केन्द्रीय चुनाव आयोगके फैसले थे भी या नहीं।

केन्द्रीय चुनाव आयोगको अनुच्छेद ३२४ के तहत काफी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन संवैधानिक आजादीका मतलब कानूनसे आजादी नहीं है। वह संस्था जो चुनावी कानूनोंका पालन करनेकी मांग करती हो, उसे खुद भी मिसाल पेश करने वाला आचरण दिखाना चाहिए। नि:संदेह चुनाव आयोग व्यक्ति न होकर एक संस्था है। इसकी विश्वसनीयता दशकोंमें आयुक्तों, अधिकारियों, मतदान कर्मियों और मतदाताओंने बनायी है। संसदने तीन सदस्यों वाला आयोग बनाया है और यह तय किया है कि असहमति होनेपर फैसला बहुमतके आधारपर लिया जायगा।

२०२३ के कानूनकी धारा-१८ स्पष्ट है। इसका मुख्य कामकाज आम सहमतिसे होना चाहिए। जहांपर आयुक्तोंकी राय अलग-अलग हो तो फैसला बहुमतके आधारपर लिया जाय। यह सिद्धांत 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों' से भी पुराना है (संदर्भ- नियुक्ति, सेवाकी शर्तें और कार्यकाल अधिनियम)। मुख्य चुनाव आयुक्त एक अध्यक्ष है, न कि एक कमांडर। सर्वोच्च न्यायालयने टीएन शेषन मामलेमें भी यही कहा था। तीन सदस्यों वाली संवैधानिक संस्थामें, दो सदस्योंकी एक जैसी राय ही बहुमत है। किसी सामूहिक संस्थाके भीतर मतभेद होना सामान्य है, यहांतक कि जब सब 'ठीक' हो। जो चीज मायने रखती है, वह यह कि बादमें क्या होता है। यदि आयुक्त 'अ' कोई एक प्रस्ताव रखता है और बाकी दो 'भिन्न राय' दर्ज करते हैं तो 'अ' के प्रस्तावको 'केन्द्रीय चुनाव आयोग'का फैसला नहीं कहा जा सकता। फॉर्म-६ मतदाता पंजीकरण नियम, १९६० के तहत एक कानूनी प्रपत्र है। रिपोर्टसे पता चला कि आयुक्त जोशीने मईमें एक प्रशासनिक निर्देशके जरिये एसआईआरकी ज़रूरतोंमें अतिरिक्त प्रावधान जोड़नेपर आपत्ति जतायी थी। यह कहकर कि कानूनी फॉर्ममें बदलावके लिए पहले नियमोंमें संशोधनकी जरूरत है। खबरोंके मुताबिक कमिश्नर संधू भी इससे सहमत थे। फिर भी बदली हुई ऑनलाइन प्रक्रिया ईसीआई नेटपर दिखाई दी। सोमवारको मामला नये मोड़पर पहुंचा, जब फॉर्म-६ में बदलावका मुद्दा उठाया गया। मुख्य न्यायाधीशने साफ किया कि सर्वोच्च न्यायालयने इसका अनुमोदन नहीं किया था। यह भी कि अदालत इस बातकी जांच करेगी कि किसने क्या बदलाव किया है। अब यही सवाल केन्द्रमें हो गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षणके बाद 'फॉर्म-६' ने एक और दिलचस्प भूमिका ले ली है। आयोगने उन राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशोंके अधिकारियोंको निर्देश दिया है, जहां एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है कि वे पुरानी और संशोधित वोटर लिस्टकी तुलना करें। फिर उन पात्र मतदाताओंकी पहचान की जाय जिनके नाम लिस्टसे हटाये गये हैं। उन्हें फिरसे शामिल करनेमें मदद करें। यह सुधारात्मक कदम बहुत अच्छा है। लेकिन जिस मतदाताका नाम १०, २० या ३० सालसे वोटर लिस्टमें था और एसआईआरके दौरान हटाया गया, उसे नये मतदाताओंके लिए बने फॉर्मका इस्तेमाल करने और यह झूठा बयान देनेके लिए क्यों और कैसे कहा जा सकता है कि वह पहली बार नाम जुड़वानेके लिए आवेदन कर रहा है-नियमोंके अनुसार ऐसा आपराधिक कृत्य है, जिसमें एक सालतक जेलकी सजा हो सकती है। सूचीसे हटाया गया मतदाता नया मतदाता नहीं होता। उसे लिस्टमें वापस शामिल किये जानेकी जरूरत है, न कि पहली बार पंजीकरण की। यदि मौजूदा फॉर्म इसके लिए सही नहीं हैं तो नियमोंमें बदलाव करके एक नया फॉर्म बनाया जाना चाहिए।

पश्चिम बंगालका मामला बड़ा संस्थागत सवाल खड़ा करता है। जांच-पड़तालकी प्रक्रियाके जरिये २७.१६ लाख मतदाताओंके नाम हटाये जानेके बाद, खबरोंके अनुसार २२.२१ लाख लोगोंने नाम वापस जुड़वानेके लिए अपील की गयी है। इसके अलावा १६.१० लाख अपीलें वे मिलीं, जिनमें उन नामोंको चुनौती दी गयी, जो मतदाता सूचीमें शामिल किये गये। खबरोंके मुताबिक कमिश्नर संधूने फाइलपर पूछा था कि 'केन्द्रीय चुनाव आयोग' की ओरसे यह अपीलें दायर करनेके लिए कौन अधिकृत था। सवालका पूरा जवाब मिलना चाहिए। गोवाका मामला भी ऐसा ही है, जहां मतदाता सूची पंजीकरण अधिकारियोंने ९७ मतदाताओंको लिस्टमें वापस शामिल किये जानेके योग्य पाया, लेकिन केन्द्रीय स्तरपर नियंत्रित सॉफ्टवेयरने अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होनेसे पहले उन्हें वापस शामिल करनेकी इजाजत नहीं दी। सॉफ्टवेयर कानूनी अधिकारियोंके फैसलोंसे ऊपर नहीं हो सकता। ईसीआई नेट एक समानांतर चुनाव अधिकार संस्था नहीं बन सकता।

केन्द्रीय चुनाव आयोगने २६ सितंबरकी प्रेस विज्ञप्तिमें कई सुधारोंकी घोषणा की है- बैठकोंसे पहले एजेंडा बताया जायगा, फैसलोंकी जानकारी सार्वजनिककी जायगी, आईटी टीमों द्वारा किये गये बदलावोंकी संस्थागत स्तरपर जांच होगी, चुनाव आयुक्तोंके निर्देशोंका सख्तीसे पालन किया जायगा। ईसीआई नेटको चुनावी कानूनोंके अनुरूप बनानेपर समीक्षा की जायगी। लेकिन हर सुधार अतीतके बारेमें एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे सुरक्षा उपाय पहलेसे स्वचालित क्यों नहीं थे। केन्द्रीय चुनाव आयोगका यह कहना है कि उसके फैसले सर्वसम्मतिसे लिये गये थे और रायमें भिन्नता भी चर्चाका एक अंग होती है। इसीलिए अपनी इस बचाव मुद्राको अब रिकॉर्डसे साबित करे। सर्वोच्च न्यायालयने मामलेपर पहलेसे कोई राय नहीं बनायी है। यानी फाइलोंको सच बताने दें। भारतको एक पारदर्शी संस्थागत बहीखातेकी जरूरत है-आयोगके सामने क्या प्रस्ताव रखे गये, उसे किसने मंजूरी दी, किसने असहमति जतायी, अंतमें क्या फैसला हुआ और किसके अधिकारसे उसे लागू किया गया। नि:संदेह केन्द्रीय चुनाव आयोगको अनुच्छेद ३२४ के तहत काफी अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन संवैधानिक आजादीका मतलब कानूनसे आजादी नहीं है। वह संस्था जो चुनावी कानूनोंका पालन करनेकी मांग करती हो, उसे खुद भी मिसाल पेश करने वाला आचरण दिखाना चाहिए। नि:संदेह चुनाव आयोग व्यक्ति न होकर एक संस्था है। इसकी विश्वसनीयता दशकोंमें उन आयुक्तों, अधिकारियों, मतदान कर्मियों और मतदाताओंने बनायी है, जिन्हें भरोसा था कि अंपायर अपने ही नियमोंका पालन करते हैं। नि:संदेह एक बातपर किसी फैसलेकी जरूरत नहीं है, संसदने तीन सदस्यों वाला आयोग बनाया है और यह तय किया है कि असहमति होनेपर फैसला बहुमतके आधारपर लिया जायगा। वहां एक व्यक्ति खुद अपने आपमें संस्थाकी जगह नहीं ले सकता। जब कोई कारवाई मतदाता और चुनाव आयोगके नामपर की जाय तो लोकतंत्र एक सरल सवाल पूछनेका हकदार है, फैसला किसका था।

बढ़ते ग्लेशियर झीलोंसे संकट

ग्लेशियर एक दशक पहलेकी तुलनामें तेजीसे पिघल रहे हैं। इससे जल सुरक्षापर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सदीके मध्यतक यह इलाका 'पीक वाटर' अथवा पानीकी उपलब्धताके अधिकतम स्तरपर पहुंच जायगा।

❐ मुकुल व्यास

वैश्विक पटलपर ग्लेशियरकी स्थिति असमान्य रूपसे बदली है। इससे पीक वॉटरकी स्थितिमें नदीका बहाव अचानक बढ़ना बंद हो जाता है और तेजीसे घटने लगता है। इससे पानीकी सुरक्षापर गहरा असर पड़ेगा। पिघलते ग्लेशियर ऊंचे हिमालयके स्वरूपको बदल रहे हैं। वहां ग्लेशियर झीलें तेजीसे बढ़ रही हैं और उनका आकार भी फैल रहा है। जलवायु परिवर्तन दरअसल दुनियाके सबसे ऊंचे इलाकोंको बदल रहा है, इसलिए इस बदलावपर बारीकीसे नजर रखनेकी जरूरत है। एक नये अध्ययनमें हिमालयमें हो रहे परिवर्तनका खुलासा किया गया है। यह अध्ययन प्रागकी चार्ल्स यूनिवर्सिटीकी रिसर्चरने किया है। लगभग तीस सालोंके उपग्रह पर्यवेक्षणके आधारपर १९९४ और २०२३ के बीच भारतके पश्चिमी हिमालयमें अलकनंदा बेसिनकी ७४ ग्लेशियर झीलोंमें हुए बदलावोंको ट्रैक करनेके लिए लैंडसैट और सेंटिनल-२ की तस्वीरोंका इस्तेमाल किया। इससे जो तस्वीर हमारे सामने आती है, वह तेजीसे बदलते लैंडस्केपकी है। जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, उनका पिघला हुआ पानी अधिक ऊंचाई वाली झीलोंको भरता है और नयी झीलें बनाता है। सही हालात होनेपर ये झीलें एक साथ बहुत बड़ी मात्रामें पानी छोड़ सकती हैं। अध्ययनसे पता चला कि हिमालयमें पुरानी झीलें बढ़ रही हैं और नयी झीलें बन रही हैं। अध्ययनमें शामिल ०.०१ वर्ग किलोमीटरसे बड़ी २४ ग्लेशियर झीलोंमें झीलोंका कुल क्षेत्रफल १९९४ में ०.९७ वर्ग किलोमीटरसे बढ़कर २०२३ तक १.६२ वर्ग किलोमीटर हो गया। यह सिर्फ तीन दशकोंमें ६७ प्रतिशतकी वृद्धि है। लेकिन मौजूदा झीलोंका बढ़ना ही सब कुछ नहीं है। अध्ययनमें ५७ बिल्कुल नयी ग्लेशियर झीलोंकी पहचान की गयी, जो अध्ययनके दौरान बनीं, जिससे अलकनंदा बेसिनमें कुल झीलोंकी संख्या १३१ हो गयी। इन नयी झीलोंमेंसे १८ झीलें पहले ही ०.०१ वर्ग किलोमीटरके पैमानेसे बड़ी हो चुकी हैं। कुछ झीलें तो चौंकाने वाली रफ्तारसे फैली हैं। वसुंधरा झील १९९४ और २०२३ के बीच २६१ प्रतिशत बढ़ी। इसी दौरान बलबाला झील ११९ प्रतिशत बढ़ी।

मुख्य आंकड़ोंके अलावा, अध्ययनमें २७ ऐसी ग्लेशियर झीलोंकी पहचान की गयी, जिनमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गयी। इनमें बद्रीनाथके ऊपरकी ओर स्थित एक झील भी शामिल है। वसुंधरा झीलके तेजीसे फैलनेपर विशेष रूपसे बारीकीसे ध्यान देनेकी जरूरत बतायी गयी है। ग्लेशियर वाली झीलके आकार और स्थिरतामें बदलावका सीधा असर नीचेके इलाकोंपर पड़ सकता है। रिसर्चरका कहना है कि इन झीलोंकी लगातार निगरानी और आगे और ज्यादा विस्तारसे जांचकी जरूरत है। दरअसल मुख्य चिन्ता ग्लेशियर झीलोंमें अचानक बाढ़को लेकर है। इस तरहकी बाढ़को 'ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (जीएलओएफ) भी कहा जाता है। यह स्थिति तब बनती है, जब बर्फ, चट्टान या मलबेसे रुकी हुई पानीकी भारी मात्रा अचानक छूट जाती है और पानी, कीचड़ और मलबेको बहुत तेज और विनाशकारी ताकतके साथ नीचेकी ओर बहा ले जाती है। यह अध्ययन ऐसे समयमें आया है, जब नेपालमें २६ अगस्त, २०२६ को आई भयानक बाढ़के बाद राहत और बचावका काम चल रहा है। वह आपदा कोई आम जीएलओएफ नहीं थी, लेकिन इसने दिखाया कि ऊंचे पहाड़ोंमें अचानक आने वाली बाढ़के नतीजे कितने गम्भीर हो सकते हैं।

हालकी बाढ़ इस बातकी याद दिलाती है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकोंकी लगातार निगरानी कितनी जरूरी है, जहां भारी बारिश, ग्लेशियर झीलका बढ़ना, ढलानका अस्थिर होना और भूकम्प जैसी कई आपदाएं एक साथ मिलकर नीचेके इलाकोंपर असरको और बढ़ा सकती हैं। बड़े और दुर्गम इलाकोंकी जांच-पड़तालके लिए उपग्रह डेटा बहुत कामका होता है। इनसे हम नयी बनी झीलोंकी पहचान कर सकते हैं, झीलके आकारमें बदलावको माप सकते हैं, तेजीसे बढ़ रही झीलोंका पता लगा सकते हैं और उन झीलोंको चुन सकते हैं, जिनकी विस्तृत जांचकी जरूरत है। इस कामके लिए बड़े पैमानेपर लॉजिस्टिकल सपोर्ट और आर्थिक मददकी जरूरत है, जिसमें सीमाओंके पार वैज्ञानिक सहयोग और डेटा शेयरिंग भी शामिल है। इसे एक साझा क्षेत्रीय चिन्ताके तौरपर देखा जाना चाहिए। यह बात इस चुनौतीकी असल जड़ है। हिमालय कई देशोंमें फैला हुआ है। किसी एक देशके पहाड़ोंमें बनने या बढ़ने वाली ग्लेशियर वाली झील अपनी सीमाओंसे दूरके समुदायों और बुनियादी ढांचेके लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। नेपालमें हालमें आयी बाढ़ इस बातका एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे ऊंचे पहाड़ोंसे जुड़ा खतरा तेजीसे मानवीय संकटमें बदल सकता है। नये सैटेलाइट डेटासे पता चलता है कि उत्तर भारतके पहाड़ोंमें भी इसी तरहके खतरे चुपचाप बढ़ रहे हैं। फिलहाल यह शोध शोधकर्ताओंको कुछ ऐसी जानकारी देती है, जो उन्हें इस दुर्गम और मुश्किल इलाकेमें शायद ही कभी मिलती है। इस स्टडीसे तीन दशकोंका यह स्पष्ट रिकॉर्ड मिला है कि जमीनका स्वरूप ठीक कहां और कितनी तेजीसे बदल रहा है। क्या इस जानकारीसे लगातार जमीनी जांच और सीमा-पार सहयोगको बढ़ावा मिलेगा। यह एक कठिन सवाल है। फिर भी इस जानकारीसे यह तय करनेमें मदद मिल सकती है कि यह इलाका खतरोंसे निबटनेके लिए कितना तैयार है। अगली तेजीसे फैलती झील समुदायोंको बचनेका ज्यादा मौका नहीं देगी। इस बीच इस महीने जारी एक अन्य शोधके अनुसार, हिमालय एक अहम मोड़पर पहुंच रहा है, क्योंकि ग्लेशियर एक दशक पहलेकी तुलनामें तेजीसे पिघल रहे हैं। इससे जल सुरक्षापर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि सदीके मध्यतक यह इलाका 'पीक वॉटर' अथवा पानीकी उपलब्धताके अधिकतम स्तरपर पहुंच जायगा। पीक वॉटरकी स्थितिमें नदीका बहाव बढ़ना बंद हो जाता है और घटने लगता है। इससे पानीकी सुरक्षापर गहरा असर पड़ेगा। चूंकि भारतकी जीडीपीका २० प्रतिशतसे ज्यादा हिस्सा हिमालयपर निर्भर है, इसलिए यह इलाका देशके राष्ट्रीय आर्थिक ढांचेका एक अहम हिस्सा है, जिसपर करोड़ों लोग निर्भर हैं।



क्रोधकी सच्चाई

❐ गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर

जो लोग भी क्रोध करते हैं, वह सिर्फ सचाईको ही आधार मान कर क्रोधित होते हैं। लेकिन सचाईकी कल्पना करना काफी सीमित है। इस दुनियामें सभी प्रकारकी चीजें होती है और आपको सिर्फ धैर्य रखनेकी आवश्यकता है। सचाईकी कामना करना और यह कहते रहना कि मुझे सच्चा रहना है और मैं चाहता हूं कि सभी अभी ही सच्चे बन जायं, यह संभव नहीं है। सब सच्चे और अच्छे रहे, यह कामना करना ठीक है, लेकिन आपको लोगोंको लंबा समय देना चाहिए। धैर्यके साथ सचाईकी कामना करें फिर क्रोध हावी नहीं होगा। अन्यथा जब आप कहते हैं, मैं सच्चा हूं और फिर जब यह मांग करते हैं, मुझे यह चाहिए, फिर क्रोध आता है और जब क्रोध आता है फिर आप अपनी सचाई और अच्छाईको स्वयं ही गंवा देते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो यह उतना ही बुरा है, जैसे कोई व्यक्ति बुरा कर रहा हो। यदि किसीने यह स्थानको साफ नहीं किया और यहां सिर्फ गंदगी है। आप यहांपर आते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। उस व्यक्तिने एक गलती करी है, उसने सफाई नहीं करी क्या यह ठीक है। लेकिन उसपर आपका परेशान होना और चिल्लाना एक दूसरी गलती है। दो गलतियां एक गलतीको ठीक नहीं कर सकती। यदि किसीने कोई गलती की है तो उसे धैर्यके साथ दो-तीन बार समझायें और शिक्षित करें। शिक्षक होनेके लिए आपमें बहुत धैर्य होना चाहिए। स्कूलके शिक्षकोंके सामने यह एक चुनौती है। वह बच्चोंको वहीं बात दस बार बताते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं सुनते। बच्चोंमें ध्यानकी कमीका सिंड्रोम होता हैं। बच्चे उसपर ध्यान नहीं देते। इसलिए धैर्यकी आवश्यकता होती है। धैर्य एक गुण या खूबी होती है। वह छह संपत्तियोंमेंसे एक है। शम (मन की शांति), दम (आत्म संयम या स्वयंपर नियंत्रण), उपरति (सांसारिक सुखों और वस्तुओंसे दूरी), तितिक्षा (धैर्यकी शक्ति या सहनशीलता), श्रद्धा (विश्वास) और समाधान (आत्म संतुलन या मनका केंद्रित होना)। समाधान, संतोष और धैर्य पानेके लिए होता है। यह अत्यंत आवश्यक है। कुछ श्वासकी प्रक्रिया, प्राणायाम एवं ध्यान मनको शांत करनेके लिए अत्यंत प्रभावशाली हैं। श्वासके बारेमें जानना बहुत आवश्यक है। मनकी हर लयके अनुसार एक विशेष श्वासकी लय होती है और श्वासकी हर लयके अनुसार एक विशेष भावना पैदा होती है। तो जब आप अपने मनपर सीधे नियंत्रण नहीं कर पाते, तब श्वासके द्वारा मनको बेहतर तरीकेसे नियंत्रित कर सकते हैं।

सिमटते वन्यजीवनके संरक्षणकी चुनौती

❐ योगेश कुमार गोयल

प्रकृतिने पृथ्वीपर जीवनका ऐसा अद्भुत ताना-बाना बुना है, जिसमें जंगल, नदियां, पर्वत, घासभूमियां, आर्द्रभूमियां, समुद्र, पशु-पक्षी, कीट-पतंगे और मनुष्य सभी एक-दूसरेसे गहरे जुड़े हैं। इस पारिस्थितिक श्रृंखलाकी किसी एक कड़ीके कमजोर पड़नेका प्रभाव अंतत: पूरी व्यवस्थापर पड़ता है। इसी बुनियादी सत्यको जन-जनतक पहुंचाने और वन्यजीवों तथा उनके प्राकृतिक आवासोंके संरक्षणके प्रति जागरूकता बढ़ानेके उद्देश्यसे भारतमें प्रतिवर्ष दोसे आठ अक्तूबरतक राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष २०२६ का संदेश जुड़े आवास, वन्यजीवनका विकास विशेष रूपसे महत्वपूर्ण है, जो वन्यजीव संरक्षणकी बदलती समझको रेखांकित करता है। अब केवल किसी बाघ, हाथी, तेंदुए या किसी संकटग्रस्त पक्षीकी संख्या बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके लिए ऐसा विस्तृत और सुरक्षित परिदृश्य जरूरी है, जहां वह भोजन, पानी और आश्रय प्राप्त कर सके, प्रजनन कर सके तथा अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तिके अनुसार एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रतक निर्बाध आवाजाही कर सके।

राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताहकी वैचारिक शुरुआत १९५२ में भारतीय वन्यजीव बोर्डके गठनके बाद हुई थी। हालांकि सप्ताहभरके आयोजनका स्वरूप बादमें विकसित हुआ और १९५५ में वन्यजीव दिवस जैसे आयोजनोंके बाद १९५७ तक यह अक्तूबरके प्रथम सप्ताहमें वन्यजीव सप्ताहके रूपमें स्थापित हुआ। बादमें इसे २ से ८ अक्तूबरके बीच मनानेकी परम्परा मजबूत हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार, दुनियाकी अनुमानित लगभग ८० लाख पौधों और पशु प्रजातियोंमें करीब दस लाख प्रजातियां विलुप्तिके खतरेमें हैं। प्रकृतिके क्षरण और जैव-विविधतामें गिरावटका सीधा असर भोजन, जल, स्वास्थ्य, आजीविका और मानव कल्याणपर पड़ रहा है। अत: वन्यजीव संरक्षणको केवल जंगलों या वन विभागकी जिम्मेदारी मानना गम्भीर भूल होगी।

भारत इस वैश्विक जैव-विविधता संकटके बीच विशिष्ट स्थान रखता है। हिमालयसे लेकर पश्चिमी घाटतक, थारके मरुस्थलसे सुंदरबनके मैंग्रोवतक और गंगा-ब्रह्मपुत्रके मैदानोंसे लेकर अंडमान-निकोबारतक भारतके विविध पारिस्थितिक तंत्र असंख्य वन्यजीव प्रजातियोंको आश्रय देते हैं। भारतमें २०२५ तक संरक्षित क्षेत्रोंकी संख्या ११३४ हो चुकी थी जबकि ५८ टाइगर रिजर्व और ३३ हाथी रिजर्व संरक्षण तंत्रका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पारिस्थितिक संपर्क बनाये रखनेके लिए ३२ बाघ गलियारे और १५० हाथी गलियारे भी चिह्नित किये गये हैं। वन्यजीव संरक्षणके क्षेत्रमें भारतकी कुछ उपलब्धियां उत्साहजनक हैं। २०२२ के अखिल भारतीय बाघ आकलनमें देशमें बाघोंकी औसत अनुमानित संख्या ३६८२ रही, जो २०१८ के २९६७ से उल्लेखनीय वृद्धि है। इसी तरह स्टेटस आफ लेपर्ड्स इन इंडिया २०२२ के अनुसार देशमें तेंदुओंकी अनुमानित संख्या १३,८७४ थी। हालके वैज्ञानिक आकलनोंमें पहली बार देशमें हिम तेंदुओं और नदी डॉल्फिनकी राष्ट्रीय स्तरपर संख्या भी सामने आयी, क्रमश: लगभग ७१८ और ६३२७। ये उपलब्धियां बताती हैं कि वैज्ञानिक निगरानी, कानून, संरक्षित क्षेत्रों और दीर्घकालिक संरक्षण परियोजनाओंका परिणाम सकारात्मक हो सकता है। लेकिन संख्या बढ़ना ही पूरी सफलता नहीं है। यदि वन्यजीवोंके आवास सिकड़ते और खंडित होते रहें तो बढ़ती आबादी भी नये संकट पैदा कर सकती है। सड़कें, रेल लाइनें, बिजलीकी लाइनें, खनन, बांध, अनियोजित शहरीकरण और कृषि विस्तार जंगलोंको टुकड़ोंमें बांट देते हैं। ऐसी स्थितिमें वन्यजीवोंके पारम्परिक मार्ग बाधित होते हैं और वे भोजन-पानीकी तलाशमें मानव बस्तियोंकी ओर जाने लगते हैं। पर्यावरण मंत्रालय भी स्वीकार करता है कि आवास विखंडन, गलियारोंमें विकासगत व्यवधान और मानव आबादीके विस्तार जैसे कारण संघर्षको बढ़ाते हैं। इसलिए २०२६ की थीमका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि संरक्षणका भविष्य द्वीपोंमें नहीं, जुड़े हुए परिदृश्योंमें है। राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण रणनीति भी स्पष्ट करती है कि महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों, प्रवासन मार्गों और आवाजाहीके रास्तोंकी पहचान, वैज्ञानिक मानचित्रण और सुरक